



भारत स्काउट एवं गाइड, मध्यप्रदेश, राज्य मुख्यालय,

शांति मार्ग, श्यामला हिल्स, भोपाल - 17

Phone: 2661263, 2737446 Fax: 2661263 Website: bsgmp.net E-mail: bsgmadhypradesh@gmail.com

क्र. / 4340 / रा0मु0 / गति. / 2015-16

भोपाल, दिनांक 8/10/2015

सहायक राज्य / जिला संगठन आयुक्त (स्काउट / गाइड)
राज्य / जिला कार्यालय(म0प्र0) ।

जिला शिक्षा अधिकारी / सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास
पदेन जिला कमिश्नर (स्का0 / गा0) जिला.....(म0प्र0) ।

विषय :- संभाग / जिला स्तर के शिविरों के आयोजन बाबत ।

-0-

विषयान्तर्गत लेख है कि संभाग / जिला स्तर पर आपके द्वारा निरंतर युवा / वयस्क प्रशिक्षण शिविर आयोजित किये जा रहे हैं किन्तु देखने में आ रहा है कि आप राज्य मुख्यालय की स्वीकृति या जानकारी के बिना शिविर आयोजित कर रहे हैं जो शिविर आचार संहिता के नियमों विपरित है। यह भी जानकारी प्राप्त हो रही है कि पेट्रोल लीडर व द्वितीय सोपान, द्वितीय चरण-रजतपंख जांच शिविरों का पालन आपके द्वारा किया जा रहा है जबकि जिले स्तर के शिविर जिले के अन्य हिमालय वुड बैज होल्डर को पालन चाहिये लेकिन ऐसा नहीं किया जा रहा है, जिससे आपके निष्ठा पर प्रश्नचिन्ह लग रहा है। शिविरों के प्रतिवेदन व विकास-विशेष शुल्क की राशि शिविर समापन के बाद 3 दिवस के भीतर जिले के निदेश दिये गये हैं उसका पालन नहीं हो रहा है ।

अतः समस्त ए0एस0ओ0सी0 को निर्देशित किया जाता है कि आप अपने स्तर पर कौन कौन से शिविरों की स्वीकृति दी है और स्वीकृति के पूर्व क्या राज्य मुख्यालय से अनुमोदन प्राप्त है के संबंधी जानकारी 3 दिवस के भीतर ईमेल / फैंक्स से भेजवाना सुनिश्चित करें ।

यदि राज्य मुख्यालय के निर्देशों का पालन नहीं किया जाता है तो जो भी शिविर आपके जिले व संभाग में आयोजित हुये हैं या हा रहें हैं उन वाले शिविरों का समस्त व्यय आपके वेतन से अंतर राज्य मुख्यालय के लेखा शाखा में जमा करा दिया जावेगा । साथ ही राज्य मुख्यालय से द्वितीय सोपान के प्रमाण-पत्र भी क्रय नहीं किये जा रहें जो नियम विरुद्ध है ।

आपको उक्त संबंध में कईबार निर्देश दिये गये हैं कि बिना राज्य मुख्यालय के अनुमोदन / स्वीकृति के कोई भी शिविर आयोजित नहीं किये जावें। आदेश का कडाई से पालन करें ।



राज्य सचिव

भारत स्काउट एवं गाइड मध्यप्रदेश
भोपाल, दिनांक 8/10/2015

4341 / रा0मु0 / गति. / 2015-16

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं कार्यवाही हेतु-

1. राज्य मुख्य आयुक्त राज्य मुख्यालय भोपाल ।
2. लेखा / स्थापना शाखा राज्य मुख्यालय भोपाल ।


राज्य सचिव

भारत स्काउट एवं गाइड मध्यप्रदेश